भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1194
(जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947(शक) को दिया जाना है)

देश में क्रिप्टो-मुद्रा पर कराधान

1194. **श्री पुट्टा महेश कुमारः**
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, विगत तीन वर्षों के दौरान क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफार्मों द्वारा उपयोगकर्ताओं से एकत्रित कुल कर और टीडीएस का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अपने प्लेटफार्मों पर क्रिप्टो लेन-देन पर कर भुगतान का अनुपालन नहीं करने वाले और टीडीएस कटौती लागू नहीं करने वाले क्रिप्टो एक्सचेंजों की सूची का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान क्रिप्टो-मुद्रा लेन-देन पर टीडीएस कटौती का भुगतान नहीं करने के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है;
(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान चिह्नित किए गए एक्सचेंजों की सूची और ऐसे एक्सचेंजों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने क्रिप्टो-मुद्रा के लिए थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों में देखे गए कराधान मॉडल के कार्यान्वयन के लिए कोई अध्ययन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) देश भर में पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्मों द्वारा उपयोगकर्ताओं से एकत्र किए गए कुल टीडीएस के बारे में राज्य-वार विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	राज्य	कुल कर कटौती राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 (करोड़ रुपए में)	कुल कर कटौती राशि - वित्तीय वर्ष 2023-24 (करोड़ रुपए में)	कुल कर कटौती राशि - वित्तीय वर्ष 2024-25 (करोड़ रुपए में
1	आंध्र प्रदेश	0.04	0.07	0.12
2	असम	0.0003	-	-
3	बिहार	0.01	0.02	0.01
4	चंडीगढ़	-	0.11	-
5	छत्तीसगढ़	0.05	0.0003	0.0003
6	दिल्ली	0.35	0.99	28.33
7	गुजरात	17.15	29.29	28.63
8	हरियाणा	1.24	0.83	0.64
9	हिमाचल प्रदेश	-	0.02	0.02
10	जम्मू और कश्मीर	-	0.00005	-
11	कर्नाटक	38.85	81.97	133.94
12	केरल	0.13	0.05	0.04
13	मध्य प्रदेश	0.001	0.02	0.01
14	महाराष्ट्र	142.83	224.60	293.40
15	ओडिशा	0.01	0.04	0.01
16	पांडिचेरी	0.003	-	-
17	पंजाब	0.24	0.0018	0.05
18	राजस्थान	8.85	15.72	15.48
19	तमिलनाडु	9.58	8.00	9.97
20	तेलंगाना	1.01	0.19	0.08
21	उत्तर प्रदेश	0.76	0.60	0.50
22	उत्तराखंड	0.0009	0.002	-
23	पश्चिम बंगाल	0.16	0.21	0.60
	कुल	**221.27**	**362.70**	**511.83**

(ख) धन-शोधन निवारणऔर आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) के दृष्टिकोण से निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू-आईएनडी) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) को पंजीकृत करती है। यह पंजीकरण आवश्यकता घरेलू और अपतटीय प्लेटफार्मों पर समान रूप से लागू होती है जो भारत में स्थित उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2022 ने आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 194एस प्रस्तुत की, जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के अंतरण पर स्रोत पर 1% कर कटौती (टीडीएस) अनिवार्य की गई। यह सभी लेन-देन पर लागू होता है, जिसमें विदेशी संस्थाओं से जुड़े लेन-देन भी शामिल है, बशर्ते की आय भारत में कर योग्य हो। यह देखा गया है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं की सेवा करने वाले कुछ अपतटीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

(ग) और (घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133ए के तहत 03 क्रिप्टो एक्सचेंजों के खिलाफ सर्वेक्षण कार्रवाई की गई और धारा 194एस के तहत 39.8 करोड़ रुपये के टीडीएस प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया और 125.79 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया गया। उपरोक्त तलाशी और जब्ती अभियानों के अलावा, धारा 132 के तहत और आयकर अधिनियम की धारा 133ए के तहत विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ सर्वेक्षण कार्रवाई के परिणामस्वरूप 888.82 करोड़ रुपये की वीडीए लेन-देन से संबंधित अघोषित आय का पता लगाया गया।

(ङ) क्रिप्टो-मुद्रा के लिए थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों में देखे गए कराधान मॉडल के कार्यान्वयन के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

******